न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–45/06

राजेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम जाति नाई निवासी चक 19 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
.....प्रार्थी

बनाम

1. जगदी ा प्रसाद } पुत्रगण सीताराम जाति नाई निवासी धोबीधोरा, सूरसागर के पास
2. रमे ा चन्द्र } बीकानेर।
3. ललिता देवी पत्नि गोपालराम पुत्र सीताराम नाई निवासी धोबीधोरा, सूरसागर के पास बीकानेर।
4. संतोश देवी पत्नि मुरलीधर पुत्र सीताराम नाई निवासी धोबीधोरा, सूरसागर के पास बीकानेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान का तकारी अधिनियम

–: निर्णय :– **दिनांक :– 25.03.2021**

वाद का ब्यौरा इस प्रकार है कि विवादित आराजी चक 19 बीडी के मुरब्बा नंबर 94/30 के किला नंबर 1 से 25 में 24 बीघा भूमि वादी और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की माता रानी देवी पत्नी सीताराम के नाम दर्ज थी। वादी का कहना है की रानी देवी ने दिनांक 20.02.2004 को उक्त भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में करवा दी थी। रानी देवी की मृत्यु के बाद उक्त वसीयत के आधार पर नामांतरण संख्या 156 दिनांक 31.08.2005 को दर्ज किया गया। जिसके तहत विवादित आराजी वादी के नाम दर्ज कर दी गई। इसी दौरान प्रतिवादी नंबर 1 से 4 ने उक्त विवादित आराजी का विरासतन इंतकाल नामांतरण संख्या 154 दिनांक 06.08.2005 को दर्ज करवा लिया।

वादी ने इस आशय का अनुतोष चाहा है कि इंतकाल संख्या 154 को निरस्त किया जाकर इंतकाल संख्या 156 को विधि सम्मत घोषित किया जाए। प्रतिवादी गण ने जवाब पेश किया है की इंतकाल संख्या 154 इंतकाल संख्या 156 से पहले दर्ज किया गया है। इसलिए इंतकाल संख्या 154 के कायम होते हुए इंतकाल संख्या 156 कानूनी तौर पर दर्ज ही नहीं किया जा सकता था। प्रतिवादी गण द्वारा उक्त इंतकाल को निरस्त करवाने बाबत इसी न्यायालय में अपील 16/2005 पेश की गई थी। उस अपील का निर्णय दिनांक 15.06.2006 को हो चुका है व न्यायालय द्वारा इंतकाल संख्या 156 को निरस्त किया जा चुका है। इसलिए वादी इस न्यायालय के समक्ष इंतकाल संख्या 156 को पुष्ट करने का वाद दायर नहीं कर सकता क्योंकि इस बिंदु पर अपील संख्या 16/2005 में फैसला हो चुका है।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया और निर्णय अपील संख्या 16/2005 का भी अध्ययन किया गया। वर्तमान वाद और अपील संख्या 16/2005 में मुख्य बिंदु एक ही है। मुख्य बिंदु यह है कि इंतकाल संख्या 156 और इंतकाल संख्या 154 में से किसे वैध माना जाए। क्योंकि अपील संख्या 16/2005 में इस मुद्दे पर फैसला हो चुका है जिसमें इंतकाल संख्या 156 को निरस्त किया गया है और अपील संख्या 16/2005 के निर्णय के खिलाफ वर्तमान में माननीय राजस्व मंडल में कार्यवाही जैरकार है। इसलिए वर्तमान वाद सस्टेनेबल नहीं हैं। इसलिए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:38:17 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)